कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635 7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/613 दिनांकः– 18/11/2020

–:कार्यवाही विवरण:–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 04/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 03/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 1:– (11.11.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 228 रकबा 10.01.00 बीघा में से 04.16.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री प्रेमाराम पुत्र श्री लालाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि पर प्रस्तावित योजना के दक्षिण दिशा में गूगल मानचित्र अनुसार अन्य कॉलोनी की सड़कें निर्मित है। चर्चा के दौरान जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि गूगल मानचित्र अनुसार दक्षिण दिशा में विकसित योजना जोविप्रा अनुमोदित नही है। अतः उक्त योजना के विकासकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जोन उपायुक्त निर्देशित किया गया।
2. योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या अंकित नही है अतः भूखण्ड संख्या अंकित करते हुए एवंम मानचित्र में प्रस्तावित 40 फीट सडक को योजना की सीमा तक निरन्तरण रखते हुए संशोधित मानचित्र लिया जाकर जारी किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 2 :– (11.11.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम नान्दडा कल्ला के खसरा संख्या 265/3 रकबा 03.00.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रीतमदास एवम् भवरलाल पुत्र श्री सुरजाराम।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. ले–आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 17 से 24 के सामने की 30 फीट सडक की चौडाई 40 फीट रखते हुए संशोधित मानचित्र लिया जाकर जारी किया जाना है।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 3 :– (11.11.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम बडा कोटेचा के खसरा संख्या 58/47 रकबा 27.00.00 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री भाखरराम पुत्र श्री आईदानराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्न निर्णय लिया गया :–

1. मौका स्थिति के अनुसार आवेदित भूमि राजस्व ग्राम बडा कोटेचा से ग्राम जेलु जाने वाली डम्मर सडक पर स्थित है, उक्त सडक दोनों गांवो को जोडती है। इस सडक की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चौडाई 26 फीट है, एवं मौके पर 40 फीट चौडाई में मार्गाधिकार उपलब्ध है। चूकी उक्त सडक मौके पर निर्मित डामर सडक है तथा दो गांवों को जोडती है। अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार भावी विकास के दृष्टिगत 100 फीट प्रस्तावित किया जाता है। चूंकि इस सडक पर पूर्व में कोई भी कमिटमेंन्ट नही है इस लिये जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 4 :– (11.11.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 17/2, 17/3 रकबा 03.09.09 बीघा के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री मदनलाल पुत्र श्री घेवरराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्न निर्णय लिया गया:–

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 80 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त है, जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सड़क पर पूर्व में भी कई कमिटमेन्ट्स किये गये हैं। जिसके क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जोन

उपायुक्त, उप नगर नियोजक व तहसीलदार द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर प्रश्नगत सड़क पर पूर्व के कमिटमेन्ट्स के आधार पर सडक चौड़ाई का निर्धारण बाबत् प्रस्ताव दिया जावे।

2. नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में **उपरोक्त बिन्दु की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावें।**

एजेण्डा संख्या 5 :– (11.11.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 279/1, 279/2, 280, 281 रकबा 57.09.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती लक्ष्मी देवी व अन्य।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रादली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्न निर्णय लिया गया:–**

1. उपायुक्त जोन को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक उक्त योजना में कोई लीजडीड/आंवटन जारी नही किया जावें।
2. पूर्व में जारी ले–आउट प्लान को तत्काल निरस्त किया जाता है उपायुक्त जोन को निर्देशित किया जाता है कि विकासकर्ता को सूचित किया जावें कि प्रश्नगत योजना के भूखण्डों का आगे बैचान ना करें।
3. प्रश्नगत योजना में जारी ले–आउट प्लान अनुसार जिन भूखण्डों को पटटे जारी किये जा चुके है, की सूचना जोन स्तर से उपलब्ध कराई जावें।
4. प्रश्नगत योजना की नवीनतम मौका स्थिति प्राप्त की जावें।
5. प्रश्नगत योजना में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) में प्रस्तावित 100 फीट (30 मीटर) की सड़क को दर्शाते हुए रिप्लानिंग का मानचित्र लिया जावें।
6. पूर्व में जारी योजना मानचित्र को संशोधित किये जाने के संबंध में आपत्ति सुझाव हेतु दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जानी है जिसका खर्चा विकास कर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
7. योजना की रिप्लानिंग से प्रभावित भूखण्डों के जारी लीजडीड मय साईट प्लान जोविप्रा में समर्पित करने बाबत् उपायुक्त जोन द्वारा संबंधित भूखण्डधारीयों को सूचित किया जावें।
8. योजना मानचित्र में संशोधन से उत्पन्न वाद विवाद जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इस बाबत् विकासकर्ता से शपथ–पत्र लिया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 6 :– (11.11.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 163 रकबा 02.02.00 बीघा के फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री हडमानराम पुत्र श्री जेठाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि के उत्तरी भाग से मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) की 200 फीट (60 मीटर) सडक गुजरती है जिसका अंकन मानचित्र में किया जाना है।
2. 60 मीटर सडक से प्रभावित होने वाली भूमि आवेदक से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवाई जानी है।
3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पटटा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावेगी कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय

को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 7 :– (11.11.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 746/1 रकबा 10.09.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री खींवराज पुत्र श्री भूराराम मेघवाल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्रश्नगत योजना को पहुँच मार्ग मुख्य सडक से अन्य अनुमोदित योजना (ऋषभ नगर योजना) की 30 फीट सडक से होते हुए प्राप्त होता है। अतः नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के परिप्रेक्ष्य में पहुँच मार्ग के संबध में शिथिलता प्रदान की जाती है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 39 से 47 के सामने की 30 फीट सडक की चौडाई 40 फीट रखते हुए संशोधित मानचित्र लिया जाकर जारी किया जाना है।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 8 :– (11.11.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 117/7 रकबा 15.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री मोडाराम पुत्र श्री लिखमाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्न निर्णय लिया गया :–**

1. मौका स्थिति के अनुसार आवेदित भूमि राजस्व ग्राम जोधपुर–ओसिया मुख्य सडक से लगभग 650 मीटर अन्दर की तरफ स्थित है। इस सडक की राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चौडाई 30 फीट है, एवं मौके पर 25 से 30 फीट चौडाई में मार्गाधिकार उपलब्ध है। अतः उक्त सडक का मार्गाधिकार भावी विकास के दृष्टिगत 80 फीट प्रस्तावित किया जाता है। चूंकि इस सडक पर पूर्व में कोई भी कमिटमेंन्ट नही है इसलिए जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 9 :– (11.11.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 91/1 रकबा 01.13.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती तीजा देवी, कमला देवी, चुकली, धापू पुत्रीया फौजाराम, रामप्रकाश, गुमनाराम पि. पाबुराम, इन्द्रा, सुमित्रा, आसमानी, अनिपा पुत्रीया पाबुराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास 100 फीट सडक मार्गाधिकार आरक्षित करते हुए मानचित्र अनुमोदित किये है। तदानुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोडी जानी होगी अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 10 :– (11.11.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम मथानिया द्वितीय के खसरा संख्या 874/1, 874/2, 874/10, 874/11 रकबा 04.15.14 बीघा के लघु उद्योग औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती कस्तुरी डागा पत्नी श्री रमन डागा श्री लखन डागा पुत्र श्री रमन डागा।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि जोधपुर–मथानिया राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें, तथा तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। साथ ही लघु उद्योग हेतु संबंधित विभाग से पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
4. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर का प्रावधान किया जावें।

5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
7. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :– (11.11.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 126/7/2 रकबा 01.00.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री बाबुलाल टाक पुत्र श्री चुन्नीलाल टाक, श्री जेठाराम पुत्र श्री रामचन्द्र गहलोतम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के मध्य बिन्दु से 40 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी की गई है। जबकि प्रार्थी द्वारा सड़क के मध्य बिन्दु से 30 मीटर छोड़ते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित आवेदन प्राप्त करते हुए संशोधित 90/क के आदेश जोन उपायुक्त द्वारा किया जावें।
2. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में कोई ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। साथ ही विद्युत लाईन के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 12 :– (11.11.2020) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 5/8, 5/9 रकबा 04.13.05 बीघा के फ्यूल स्टेशन (वाणिज्यिक) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत, आवेदक :– एजी.पी.सी.जी.डी इण्डिया प्रा.लि जरिये प्रतिनिधी श्री मनीष गोस्वामी पुत्र श्री रमेश गिरी गोस्वामी

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. राज्य सरकार द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के संबंध में दिनांक 07.03.2018 को जारी अधिसूचना अनुसार पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सडक/अन्य जिला सडक (NH/SH/MDR/ODR) पर स्थित होने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावें।
2. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में कोई ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। साथ ही विद्युत लाईन के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 13 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/10 रकबा 04.11.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत। आवेदक :– श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि श्री पुरूषोतमदास

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 236 में लगने वाले रास्ते की निरन्तरता/उपलब्धता के बारे में संयुक्त मौका रिपोर्ट हेतु उपायुक्त, उप नगर नियोजक व तहसीलदार की समिति का गठन किया गया। उक्त समिति को रास्ते के संबंध में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।**

एजेण्डा संख्या 14 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/6 रकबा 02.18.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :– श्रीमती दीपा बजाज पत्नी श्री कैलाश बजाज

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुॅच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक--पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/5 रकबा 02.18.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती ममता बजाज पत्नी श्री प्रहलादराम

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा किया जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/4 रकबा 02.19.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती वन्दना बजाज पत्नी श्री राजेश कुमार बजाज

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।

3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 17 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/9 रकबा 02.18.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती सुमन पुंगलिया पत्नी श्री सुनिल कुमार

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/11 रकबा 04.15.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/7 रकबा 02.16.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती जयश्री पत्नी श्री मदनलाल पुगंलिया

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/21 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री घनश्याम भट्टड पुत्र श्री किशन, श्री सुनील राठी पुत्र श्री भंवरलाल राठी।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा मार्ग से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।

3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः प्रार्थी से इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. जोन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी से अतिरिक्त 32.45 वर्गगज भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र अनुसार नियमानुसार रिजर्व प्राइज की दर से अतिरिक्त भूमि की राशि लिये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
6. एजेंडा के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही हैं और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 239/8 रकबा 02.17.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती नेहल पत्नी श्री राघव पुगांलिया

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि को 80 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी द्वारा 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र प्रस्तुत किये है जबकि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट समर्पण सुदा रास्ता अपेक्षित है। अतः प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ--पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 22 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/44 रकबा 02.15.16 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती रीतू पत्नी श्री मनोज सोलंकी

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि को 60 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैं0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
6. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
7. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ--पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ--पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 23 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/45 रकबा 02.15.16 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती शीतल पत्नी श्री पंकज सोलंकी

निर्णय :- **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-**

1. आवेदित भूमि को 60 फीट समर्पण सुदा रास्ते से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 5 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक-पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
6. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
7. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जे.विप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 24 :- (11.11.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/100 रकबा 00.09.17 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री पुरण प्रकाश पुत्र श्री शिवगिरी

निर्णय :- **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौके व रेकर्ड अनुसार 60 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता की जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/101 रकबा 00.14.19 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री पुरण प्रकाश पुत्र श्री शिवगिरी

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौके व रेकर्ड अनुसार 60 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता की जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 26 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/88, 129/89 रकबा 03.06.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री अनिल सिघंवी पुत्र श्री नरपतमल सिघंवी, श्री अभिषेक सिंघवी पुत्र श्री नरपतमल सिघंवी, श्री अभिमन्यु सिघंवी पुत्र श्री रणजीतमल, श्री सिद्धार्थ सिघंवी पुत्र श्री रणजीतमल श्री यश सिघंवी पुत्र श्री नरपतमल।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौके व रेकर्ड अनुसार 80 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। अतः सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।

3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
7. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम / रिको भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :- (11.11.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1035 / 740 / 6 रकबा 00.04.19 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :- श्री कमलेश भाटी पुत्र श्री भंवरलाल

निर्णय :- **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 1035 / 740 / 10, 1035 / 740 / 6, 1035 / 740 / 13 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जे.विप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 28 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम भाकरासानी के खसरा संख्या 01 रकबा 15.00.00 बीघा के आवासीय योजना (सीएमजेवाई के प्रावधान संख्या 3 बी के तहत) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत। आवेदक :– मैसर्स सनसिटी बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवन्त राज मेहता

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 1/1 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें।
2. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में जोजरी नदी स्थित है। अतः जोजरी नदी के मुटाम से 100 फीट की दूरी के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त की जावें तथा तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।
3. सीएमजेवाई के तहत प्रार्थी से विस्तृत डीपीआर प्राप्त की जाकर प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी से प्रोजेक्ट की स्वीकृति ली जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 29 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 100/4, 101/1 रकबा 21.00.00 बीघा में से 00.19.09 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री लालाराम पुत्र श्री पुरखाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि एवम् सडक के मध्य इसी खसरे की शेष भूमि सडक मार्गाधिकार में आती है जिसका आवेदन प्रार्थी द्वारा नही किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी से संशोधित आवेदन प्राप्त करते हुए तथा पेट्रोल पम्प हेतु आवेदित क्षेत्र के पीछे 100 फीट वृक्षारोपण पटटी का नियमानुसार प्रावधान करते हुए संशोधित 90/क के आदेश जोन उपायुक्त द्वारा किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 के संबंध में दिनांक 07.03.2018 को जारी अधिसूचना अनुसार पेट्रोल पम्प भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सडक/अन्य जिला सडक (NH/SH/MDR/ODR) पर स्थित होने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावें।
3. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में कोई ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। साथ ही आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता प्राप्त की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 30 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/42, 26/44 रकबा 01.14.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री मदनलाल पुत्र श्री मगराज, सुश्री धनवंती पुत्री मदनलाल, श्री मोहित कुमार पुत्र श्री मदनलाल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि के पीछे की ओर स्थित रास्ते की चौडाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त की जावें।
2. पत्रावली के साथ संलग्न भू–उपयोग परिवर्तन आदेश क्रमांक 2008/1275 दिनांक 29.01.2008 व 2008/1278 दिनांक 29.01.2008 में खसरा संख्या 26/2/1 व 26/2/2 का उल्लेख है। पटवारी मोगड़ा कलां लूणी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में खसर संख्या 26/42, 26/44 को मूल खसरा संख्या 26/2/2/3 व 26/2/2/2 का भाग बताया गया है। अतः इस संबंध में जोन से स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 31 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 101/2 रकबा 01.17.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती एकता जैन पत्नी श्री विजय कुमार जैन

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 104/11 अनुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें।
2. मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) में खसरा संख्या 101 पर श्री नेमाराम चौधरी द्वारा की गयी आपत्ति सामान्य प्रकार की आपत्ति होने के कारण आपत्ति को निरस्त किया गया।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
7. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकानां हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 252/10 रकबा 03.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्रीमती कौशल्या मनिहार पत्नी श्री ओमप्रकाश मनिहार

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 132 के.वी. की एच.टी. लाईन गुजर रही है तथा एच.टी. लाईन के नीचे से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.03.2017 अनुसार 132 के.वी. की एच.टी. लाईन के मध्य से न्यूनतम 6.9 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर तथा तत्पश्चात् सडक मार्गाधिकार का प्रावधान किया जा सकता है। अतः उपरोक्तानुसार एच.टी लाईन हेतु सेफ्टी कॉरीडोर छोडने के उपरान्त सडक मार्गाधिकार का प्रावधान करने पर आवेदित भूमि पर निर्मित फेक्ट्री के सड़क से प्रभावित होने के संबंध में निदेशक आयोजना, उप नगर नियोजक व संबंधित उपायुक्त को पुनः मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. उपरोक्तानुसार सडक के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 33 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 53/12, 53/25, 53/7 रकबा 06.05.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री आनन्द भूतडा पुत्र श्री सोहनलाल भूतडा व श्री प्रिमश भूतडा पुत्र श्री सोहनलाल भूतडा

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 53 व अन्य अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर प्रस्तावित योजना के पूर्व दिशा में गूगल मानचित्र अनुसार अन्य कॉलोनी की सड़कें निर्मित है। चर्चा के दौरान जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि गूगल मानचित्र अनुसार पूर्व दिशा में विकसित योजना जोविप्रा द्वारा अनुमोदित नहीं है। अतः उक्त योजना के विकासकर्ता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।

5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. एजेण्डा के बिन्दु संख्या 3 के कम में प्राधिकरण स्तर पर पूर्व में मूल खसरे के टुकडें कर पृथक–पृथक किये गये आवेदनो को अनुमोदित किये गए है। अतः तदानुसार ही प्रश्नगत प्रकरण को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
7. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
8. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 34 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 73/13 रकबा 03.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– मैसर्स वीर तेजा एक्सपोर्ट जरिये प्रो. श्री प्रमोद चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास अनुमोदित योजना अनुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। साथी आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 60 फीट चौड़ी सड़क रखी जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम/रिको भवन विनियम के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/68 रकबा 02.05.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री बाबूलाल चौपडा पुत्र श्री हस्तीमल चौपडा व श्री गौतमचन्द पुत्र श्री उत्तमचन्द कोठारी

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास अनुमोदित योजना अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
3. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
4. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
7. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/1, 25/62, 25/63 रकबा 03.01.17 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– मैसर्स रामदेव एग्री वेयर हाउस जरिये भागीदार श्रीमती सीमा खींची पत्नी श्री रविन्द्र खींची

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास अनुमोदित योजना अनुसार आवेदित भूमि के सामने 60 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।

4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 37 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 852/111 रकबा 05.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री अणदाराम पुत्र श्री रावतराम व श्री केवलराम पुत्र श्री रावतराम गहलोत

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार 200 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तारण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हे0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 38 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1088/740/13, 1967/1088 रकबा 01.01.06 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री सुनिल पुत्र श्री गोरीशंकर व श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री सुनिल

निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास अनुमोदित योजना अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 39 :— (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 60/9 रकबा 03.15.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :— श्री रामेश्वर सांखला पुत्र श्री लालसिंह

निर्णय :— **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास अनुमोदित योजना अनुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी।

8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 40 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/27 रकबा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री ढलाराम चौहान पुत्र श्री घमण्डाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में आस–पास अनुमोदित योजना अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 41 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 100/6, 100/7 रकबा 05.00.00 बीघा में से 02.18.00 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदयराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–**

आवेदक द्वारा पूर्व में 05.00.00 बीघा का आवेदन किया गया था तथा वर्तमान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 02.18.00 बीघा का आवेदन किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत 02.18.00 बीघा भूमि के मानचित्र व आवेदन में खसरा संख्या (मानचित्र पर खसरा संख्या 100/7 व 100/4/1 अंकित है) में भिन्नता के संबंध में जोन उपायुक्त से स्थिति स्पष्ट करवाई जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 42 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 37/4, 37/5, 37/6, 37/7 रकबा 09.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– मैसर्स नरपति हर्बस जरिये पार्टनर श्री अनिल सिघंवी पुत्र श्री नरपतलमल सिंघवी

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार 160 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के संबंध में वर्तमान मौका स्थिति प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
3. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर / प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 43 :– (11.11.2020) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129 / 92 रकबा 00.19.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत। आवेदक :– श्री पंकज किशोरमल छाजेड पुत्र श्री किशोरमल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–**

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि के सामने दर्शित नाले के संबंध में जोन / पटवारी से स्थिति स्पष्ट करवाते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 44 :– (11.11.2020) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 929 रकबा 11.00.00 बीघा में से 01.18.14 बीघा के पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन वाबत।
आवेदक :– श्री भीकाराम पुत्र श्री चिमनाराम,

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. मास्टर प्लान अनुसार सडक मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित रखा जावें तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 के अनुसार पैट्रोल पम्प के लिए आवश्यक गहराई के पश्चात् 100 फीट गहराई की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जावें। उक्त सडक मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सडक की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2018 के अनुसार संबंधित एजेन्सी (पीडब्ल्यूडी) से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवांद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 45 :– (11.11.2020) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम बांगा के खसरा संख्या 125 रकबा 22.11.00 बीघा में से 1225 वर्गमीटर के पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :– श्री जगदीश सांखला व श्री किशनलाल सांखला पुत्रान् श्री मोहनलाल सांखला एवं श्रीमती पपिया देवी पत्नी श्री मोहनलाल सांखला

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**
1. मास्टर प्लान अनुसार सडक मार्गाधिकार 160 फीट आरक्षित रखा जावें उक्त सडक मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सडक की मध्य रेखा से 80 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2018 के अनुसार संबंधित एजेन्सी (पीडब्ल्यूडी) से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एंव मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 46 :– (11.11.2020) नीतिगत निर्णय

विषय–1 **अनुमोदित ले–आउट प्लान मानचित्र (क्लोथ मिडिया पर) निश्चित समयावधि में प्रस्तुत करने के संबंध में।**

निर्णय :– सामान्यतः बीपीसी (एल.पी.) की बैठक में अनुमोदित प्रकरणों में आवेदक द्वारा निश्चित समयावधि में ले–आउट मानचित्र (क्लोथ मिडिया पर) प्राधिकरण की आयोजना शाखा में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनुमोदित मानचित्र जारी होने से पूर्व ही प्रस्तावित योजना के भूखण्डों का बेचान आरम्भ कर दिया जाता है। अंतिम उपभोगकर्ता को अनावश्यक रूप से विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तथा प्राधिकरण के चक्कर काटने पड़ते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त ले–आउट मानचित्र जारी नहीं होने से प्राधिकरण को राजस्व हानि होती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भविष्य में बीपीसी (एल.पी.) की बैठक कार्यवाही विवरण जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आवेदक को अनुमोदित प्रकरणों के ले–आउट मानचित्र (क्लोथ मिडिया पर) प्राधिकरण की आयोजना शाखा में प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें। अन्यथा निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाये जाने पर विचार किया जावेगा।

विषय–2 **सड़क मार्गाधिकार में समर्पित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में।**

निर्णय :— समिति के ध्यान में लाया गया कि ले—आउट प्लान अनुमोदन के समय सडकों की निर्धारित चौडाई के भाग में विकासकर्ताओं की बाउण्ड्रीवाल, वायरफेन्सिंग, अन्य निर्माण पाया जाता है, जो काफी समय के बाद तक भी नही हटाया जाता है। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के ले—आउट प्लान के क्षेत्र में स्थित सडक मार्गाधिकार में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को पटटे जारी करने से पूर्व हटाये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजेश वर्मा)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/ 614-618 दिनांकः— 18/11/2020

प्रतिलिपी :— निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

18/11/2020
(राजेश वर्मा)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

<u>परिशिष्ट—"1"</u>

भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 04/2020 वीं बैठक दिनांक 11.11.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः—

1.	श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री अनिल पूनिया, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
7.	श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
8.	श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर